न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 43/2024

श्री सीताराम माली पुत्र बजरंग लाल माली निवासी प्लाट नं. 15, प्रेमनगर कल्याणनगर मौरानी मोटर्स के पीछे, सीताबाडी के सामने, टोंक रोड, जयपुर महानगर
पिनकोड–302029

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, भू.अ. शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 01.10.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 476 दिनाक 06.08.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, (भू–अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1. ग्राम डिग्गी नया ग्राम प्रतापपुरा देशवालियान पटवार हल्का डिग्गी तहसील मालपुरा, जिला टोंक का नक्शा मौमिया बाबत ख. नं. 568, 573, व 574 का नक्शा ट्रेस मौमियां एवं इसके आसपास के सम्पूर्ण गांव का नक्शा ट्रेस मौमियों की समस्त खसरा नम्बरानों की नकल की प्रमाणित प्रति दी जावें।
2. ग्राम डिग्गी नया ग्राम प्रतापपुरा देशवालियान पटवार हल्का डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक का हाल खसरा नं. 568, 573, व 574 का वर्तमान मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति दी जावें जिसमें पुराना खसरा नम्बर बताये जाने की सूचना दी जावें।
3. ग्राम डिग्गी तहसील मालपुरा व जिला टोंक का सम्वत् 2066 से 2069 हाल खसरा नं. 559, 568/2, 2127/2, 2148/2, 2339/3, 2330/3, 2331/4, 2335/2, 2336/1 का मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2066 से 2069 में लागू मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति दी जावें।
4. ग्राम डिग्गी पटवार हल्का डिग्गी जिला टोंक की सम्वत् 2066 से 2069 तक का खसरा नं. 559, 568/2, 2127/2, 2148/2, 2339/3, 2330/3, 2331/4, 2335/2, 2336/1 एवं आसपास का नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति दी जावें।

जिला कलेक्टर
टोंक

5.ग्राम डिग्गी पटवार हल्का डिग्गी जिला टोंक का एकीकरण के समय से खं. नं. 559, 568/2, 2127/2, 2148/2, 2339/3, 2330/3, 2331/4, 2335/2, 2336/1, 2362/3, 2365/3 किता–11 की एकीकरण के समय का नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति दी जावें।
6.ग्राम डिग्गी पटवार हल्का डिग्गी जिला टोंक की वर्तमान जमाबन्दी का हाल खसरा नं. 559, 568/2, 2127/2, 2148/2, 2339/3, 2330/3, 2331/4, 2335/2, 2336/1, 2362/3, 2365/3 की वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति दी जावें।
7.ग्राम प्रतापपुरा देशवालियान तहसील मालपुरा जिला टोंक का पाल की हाल खसरा नं. 3565 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा की वर्तमान जमाबन्दी एवं वर्तमान नक्शाट्रेस की एवं वर्तमान जमाबन्दी की नकल जिसे सान्डया की पाल के नाम से मौजूद है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, (भू–अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक को पत्र क्रमांक 1127 दिनांक 14.08.2024, 1200 दिंनाक 27.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, (भू–अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक ने पत्र क्रमांक 3867 दिनांक 04.09.2024 से जवाब प्रेषित किया हैं कि अपील में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने पर कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 3841–43 दिनांक 03.09.2024 से तहसीलदार मालपुरा को पत्र लिखकर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतरित कर प्रार्थी को भी सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को पत्र क्रमांक 1331 दिनांक 10.09.2024, 1414 दिंनाक 26.09.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)